टी0ए0 मिस केस सं0 229/2017-18

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
	अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका विक्रेता **सुश्री सुखमती पुरती, पिता– स्व० लागो पुरती**, निवासी ग्राम– **उलीहातु**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **टेकासाई**, थाना नं०– **111** के अन्दर खाता नं०– 68, प्लॉट नं०– 146, रकवा– **0.29 एकड़** भूमि क्रेता **सुश्री फुलमती बारी, पिता– श्री सिकन्दर बारी**, निवासी ग्राम– **सिम्बिया**, थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **खतियान में आवेदिका के (बुआ) शन्तो कुई के नाम पर दर्ज है**। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 535, दिनांक– 03.05.2018 के द्वारा कुर्सीनामा तथा विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज एवं अन्य घरेलू कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **सुश्री फुलमती बारी, पिता– श्री सिकन्दर बारी**, निवासी ग्राम– **सिम्बिया**, थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास **3,05,000.00/– (तीन लाख पांच हजार रुपये)** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा के द्वारा लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 1.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **सुश्री सुखमती पुरती, पिता– स्व० लागो पुरती**, निवासी ग्राम– **उलीहातु**, थाना– **मुफ्फसिल**, क्रेता **सुश्री फुलमती बारी, पिता– श्री सिकन्दर बारी**, निवासी ग्राम– **सिम्बिया**, थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास जमीन को कुल **3,05,000.00/– (तीन लाख पांच हजार रुपये)** में मौजा– – **टेकासाई**, थाना नं०– **111** के अन्दर खाता नं०– 68, प्लॉट नं०– 146, रकवा– **0.29 एकड़** जमीन बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ... स्वीकृति .... दी जाती है। लेखापित 15-05-2018 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 15-5-2018 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner